अब जनता सब जानेगी

(सूचना अधिकार अधिनियम पर आधारित नाटक)

(भारत सरकार द्वारा यू.एन.डी.पी. के सहयोग से बिहार राज्य में चलाए जा रहे कार्यक्रम ''कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एक्सेस टु इन्फॉरमेशन अन्डर द राइट टु इन्फॉरमेशन ऐक्ट, 2005'' के अन्तर्गत प्रकाशित)

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)
वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना- 801 505
क्षेत्रीय कार्यालय : 168, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना-800 013

अब जनता सब जानेगी

(सूचना अधिकार अधिनियम पर आधारित नाटक)

मार्गदर्शन : जी.एस. दत्त, भा.प्र.से.
महानिदेशक, बिपार्ड

परिकल्पना : आर.एन. प्रसाद
सूचना अधिकार केन्द्र, बिपार्ड

लेखन : शिवदयाल

सहयोग : ममता मेहरोत्रा, नूतन कुमारी

सर्वाधिकार : प्रकाशकाधीन

प्रकाशन वर्ष : जनवरी 2009, **प्रथम संस्करण**

प्रकाशक :

पब्लिकेशन ऐण्ड **रिसर्च** डिविजन
बिहार लोक प्रशासन एवं **ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड)**
क्षेत्रीय कार्यालय : 168, **पाटलिपुत्र कॉलोनी**, **पटना**- 800 013
फोन : 0612-2273791, **फैक्स :** 0612-2270308
वेब**साइट :** www.bipard.org

अब जनता सब जानेगी

पात्र

नागरिक–1 – उम्र - युवा (पैंट-शर्ट में)

नागरिक–2 – अधेड़ (धोती–गंजी में)

नागरिक–3 – युवा (पैंट-शर्ट में)

नागरिक–4 (जनसेवक) – युवा (कुर्त्ता–पायजामा में)

नागरिक–5 – अधेड़, विकलांग (गंजी–पायजामा में)

नागरिक–6 – वृद्ध (धोती–गंजी, गमछा में)

सभी पात्र गरीब तबके के दिखते हैं।

निर्देशक चाहें तो नागरिक–5 अथवा नागरिक–6 की भूमिका में महिला पात्र को रख सकते हैं।

अब जनता सब जानेगी

(कुछ लोग झूमते हुए गा रहे हैं ...)

नागरिक–1 – (गाना गाता है) ''चलत मुसाफिर मोह लिया रे, पिंजरे वाली मुनिया–2

उड़ी–उड़ी बैठी हलुवइया दुकनियाँ–2

बरफी के सब रस ले लिया रे

पिंजरे वाली मुनिया ....

नागरिक–2 – ई का बेमौसम टरटराना शुरू कर दिए ? मुँह बंद करो, कीड़ा–मकोड़ा घुस जाएगा .....

(नागरिक–1 गाता रहता है)

नागरिक–3 – (खैनी मलते हुए) गावे न दीजिए, ऊ अपना गला से गा रहा है। आ तनी हमनियों का मन बहल रहा है ...

नागरिक–2 – मन बहल रहा है? अरे, कान दुखने लगा इसका भाँय–भाँय सुनकर !

नागरिक–4 (जनसेवक) – (खुश दिखता है, आकर टोली में शामिल हो जाता है) – का भाई लोग ? का हो रहा है ?

नागरिक–2 – (मुँह बनाकर) आ गए इहो अब कपरबत्थी करने, बाप रे बाप ! अब इहाँ से उठा जाए ! (उठने को होता है, नागरिक–1, चुप हो आगंतुक का स्वागत करता है)

नागरिक–1 – आइए–आइए रामसेवक भइया, का खबर लाए हैं ? (गब्बर सिंह के अंदाज में बोलता है, सब हँसने लगते हैं)

नागरिक–2 – इनको रामसेवक काहे बोलते हो जी ? जनसेवक बोलो, जनसेवक। ई रामजी का नाम भले न लें जनता–जनार्दन के चक्कर में खूब रहते हैं, लेकिन आज तक एक धेला का काम नहीं कीहिन ई भाई जी !

नागरिक–1 – (नागरिक–2 से) आप जब बोलिएगा, मिरचाइए का छौंक निकलेगा मुँह से ! का फरक पड़ता है, जनसेवक ही कहिए इनको। का भइया? (जनसेवक से)।

नागरिक–4 (जनसेवक) – तब चलिए आज से हम जनसेवक ही हो जाते हैं! ही–ही–ही! (हँसता है)

नागरिक–3 – लेकिन आप आज एतना खुश काहे हैं भाई जनसेवक जी ?

जनसेवक – अरे भाई, हम सूचना अधिकार कानून पर प्रशिक्षण लेकर आ रहे हैं न!

नागरिक–2 – हुँह, बड़का तीर मार कर आए हैं!

जनसेवक – आप ठीक बोल रहे हैं भाई जी। सूचना अधिकार हम–आप जैसे लोगों के लिए तीर, यानी हथियार ही तो है। अगर इसका उपयोग बुद्धि–विवेक से किया जाए तो हमारा जीवन सँवर सकता है भाई लोग!

नागरिक–1 – अच्छा! ई है का भाई! कइसन हथियार है, जरा सुनें तो...

सभी – हाँ–हाँ, जरा ठीक से बताइए जनसेवक जी ...

जनसेवक – अच्छा–अच्छा! लेकिन हम जो पूछें सो बताइए।

बोलिए, देश में किसका राज है ?

सभी – जनता का!

जनसेवक – राजकाज कौन चलाता है ?

सभी – जनता के प्रतिनिधि !

जनसेवक – तो जनता को, हमको, आपको यह जानने का हक होना चाहिए कि नहीं कि सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, हमारे लिए ? छोटे–बड़े अधिकारी जनता का क्या काम कर रहे हैं ?

सभी – हाँ, हक है, हक है!

जनसेवक – याद रखिए, लोकतंत्र में हर काम जनता का काम होता है, सभी काम जनता के नाम पर ही होते हैं।

सभी – हाँ, हाँ ! ठीक बात है।

जनसेवक – तब भी आज तक जनता को जरूरी जानकारियों से दूर रखा जाता था, गोपनीयता के नाम पर सूचनाएँ छुपाई जाती थीं। यह ठीक था कि गलत!

सभी – गलत, एकदम गलत!

जनसेवक – हाँ भाइयो, ठीक कहा आपने। लोकतंत्र में, जनता के राज में जनता को सरकारी कामकाज के बारे में जानने का हक है और अब सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के द्वारा जनता को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है।

सभी – (तालियाँ बजाते हैं) – वाह–वाह! वाह–वाह ! जय हो लोकतंत्र की !

जनता के राज में अब जनता सरकारी कामकाज का हर राज जानेगी।

जनसेवक – हाँ, और इसीलिए अब हम सरकार से, राजकाज चलाने वालों से हर प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं ...

नागरिक–2 – अरे, जवाब भी मिलेगा कि नहीं ?

जनसेवक – जवाब देना ही होगा, जवाब न देने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सभी – अच्छा !

जनसेवक – हाँ, आप किसी भी सरकारी विभाग/कार्यालय, संस्थान, संगठन, अर्द्धसरकारी संगठन, नगर निकाय, या पंचायत राज संस्था से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

नागरिक–2 – बस ?

जनसेवक – आप उन गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो सरकार के पैसे लेकर काम करते हैं। अब तो खुश हैं भाई जी? (नागरिक–2 से)

नागरिक–3 – ई का खुश होवेंगे। खुश नहीं रहने का कसम खाए हुए हैं। इनको देख के तो जतरा खराब हो जाता है!

(सभी हँसते हैं, नागरिक–2 भी)

नागरिक–1 – ए भइया, एगो बात पूछें ? न तो छोड़िए ... (लजाता है)

जनसेवक – पूछिए-पूछिए !

नागरिक-3 – काहे लजा रहे हो भाई ? गाना गावे में तो नहीं लजाते हो ?

नागरिक-1 – अच्छा ई बताइए कि इससे हमको क्या मिलेगा, मतलब कि ई अधिकार ले के हम का करें ?

नागरिक-2 – मूड़ी गाड़कर बइठो आ गाना-फाना छोड़ दो ! (सभी हँसते हैं)

जनसेवक – हम समझ रहे हैं आपकी बात ! यह बताइए कि आपका कोई काम किसी सरकारी कार्यालय में अटका हुआ है ?

नागरिक-1 – हाँ जी, अटका हुआ तो है, आज से ? आज आठ महीना हो गया, ए गो दरखास दिए थे इंदिरा आवास के लिए ... कुछो नहीं हुआ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के ऑफिस में दिए थे। अभी तक हम मड़इए में हैं। बड़ी दिक्कत है !

नागरिक-2 – अब बताइए जनसेवक जी महाराज, इसको क्या करना होगा?

जनसेवक – कुछ नहीं, फार्म 'क' में अथवा सादे कागज में अपना सही-सही नाम पता लिख कर बी.डी.ओ. ऑफिस से सूचना माँगिए कि आपके आवेदन पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

नागरिक-1 – फिर?

जनसेवक – फिर क्या, 30 दिनों के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा।

नागरिक-3 – जवाब तो कुछ भी आल-जाल दे सकता है ?

जनसेवक – नहीं, सही-सही जवाब देना है। गलती पकड़े जाने पर सजा हो सकती है।

नागरिक-2 – ए भाई, तो देर काहे ? दे दीजिए न ए गो दरखास !

नागरिक-1 – एकदम देंगे, आज ही दे देंगे।

जनसेवक – देखिए, सूचना अधिकार का जो कानून बना है, उसमें आपकी तरफ से हर बात का ध्यान रखा गया है। सूचना आवेदनों के निपटारे के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है। हर विभाग में लोक सूचना पदाधिकारी नामित किए गए हैं। उनकी सहायता के लिए सहायक लोक सूचना पदाधिकारी भी नामित किए गए हैं।

नागरिक-1 – त दरखास किसको देंगे?

जनसेवक – लोक सूचना पदाधिकारी को दीजिए ! साथ में 10 रुपये की फीस भी लगेगी जो कि नगद, डिमाण्ड ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, या पोस्टल आर्डर के रूप में देनी होगी।

और हाँ, फोन से भी सूचना माँगी जा सकती है, लेकिन उसमें भी फीस देनी पड़ेगी।

नागरिक-3 – आ गरीब लोग के ?

जनसेवक – गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार का व्यक्ति प्रमाण-पत्र दाखिल करे तो सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा।

नागरिक-2 – (नागरिक-1 से) हमसे चंदा मत माँगिएगा, कड़की चल रहा है ...

नागरिक-1 – चंदा काहे ? हम त बी.पी.एल. हैं ! कोई फीस नहीं !

नागरिक-3 – त माने, इनका काम हो जाएगा ?

नागरिक-2 – आरे, नहीं समझे ? जब जानकारी सही देना है त बिना

मतलब, आ चाहे घूस-फूस के चक्कर में बाबूलोग काम कैसे लटकाना चाहेंगे। जिम्मेदारी में बँधा जाएँगे न !

नागरिक-1 – हाँ-हाँ, जवाब देना पड़ेगा न ! सजा का डर ! ... ए भइया, तो हमको एगो दरखास लिखवा दीजिए न !

जनसेवक – अगर आप किसी कारण से लिखने-पढ़ने में असमर्थ हैं तो विभाग के लोग आपकी मदद करेंगे ताकि आप आवेदन दे सकें !

नागरिक-2 – बहुत इज्जत बकश रहे हैं हाकिम लोग ! वाह !

नागरिक-3 – आएँ, त ए भइया, सूचना 30 दिन में मिल जाता है ?

जनसेवक – हाँ, सामान्य स्थिति में 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाती है...

नागरिक-3 – और अगर मामला अर्जेन्टी का हो, तब ? मान लीजिए किसी का जिनगी खतरा में हो और थाना से जानकारी लेना हो, तब ?

जनसेवक – अगर आवेदन जीवन की सुरक्षा या व्यक्तिगत स्वतंत्रता या आजादी से सम्बन्धित हो तो सूचना सिर्फ 48 घंटे के अंदर देनी होगी।

नागरिक-1 – अच्छा, ई बताइए कि अगर जवाब से, माने सूचना से हमको संतोष नहीं हुआ, हमको अगर लगता है कि जवाब सही नहीं दिया गया, तब का होगा ?

नागरिक-2 – आपको आज ले कभी संतोष हुआ है, जो आगे होगा ?

जनसेवक – इसकी भी व्यवस्था सूचना अधिकार अधिनियम में है भाई

जी। आप दो स्तर पर अपील दायर कर सकते हैं। पहली अपील विभाग के वरिष्ठ, माने बड़े अधिकारी के समक्ष दायर कर सकते हैं ...

नागरिक-3 – आ अगर नहीं फरिआया तब ?

जनसेवक – तब दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष दायर कर सकते हैं, वहीं अंतिम निर्णय होगा। अगर लोक सूचना पदाधिकारी दोषी पाया गया तो उसको 250/- रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा, अधिक-से-अधिक 25000/- रुपया जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही राज्य सूचना आयोग लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा उसके प्रशासी विभाग को कर सकता है।

और हाँ, आप चाहें तो रेकार्ड या दस्तावेजों का निरीक्षण भी कर सकते हैं, खुद देख भी सकते है, मामूली फीस लगती है।

नागरिक-2 – माने गोपनीयता का कोई माने-मतलब अब नहीं रहा, जनता के राज में जनता से कुछ भी छुपाना नहीं है, का समझे ? (नागरिक-1 से)

नागरिक-1 – हम तो समझिए गए, आप ठीक से समझ लीजिए, नहीं तो फिर कोई-कोई बात लेकर अझुराने लगिएगा ...

नागरिक-3 – ए भाई लेकिन ई तो खतरनाक भी हो सकता है, सब सूचना कैसे सबको बता दीजिएगा भाई ? दुश्मन लोग को भी जरूरी जानकारी हाथ लग सकता है ? गलत बोले हम ?

जनसेवक – आप बिल्कुल ठीक बोले भाई ! देश की अखण्डता, सुरक्षा, युद्धनीति, व्यापारिक गोपनीयता, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल के दस्तावेज, अपराध की जाँच से जुड़े मामलों और निजी मामलों से सम्बन्धित सूचना के लिए सम्बन्धित विभाग या संस्था को मजबूर नहीं किया जा सकता है।

नागरिक–2 – वही तो हम भी सोच रहे थे जी ...

नागरिक–1 – भाई, आप नहीं तो कौन सोचेगा। अब तो एक आप ही बच गए हैं न सोच–विचार करने वाले ...

नागरिक–3 – अच्छा जनसेवक भाई, ई सब तो ठीक है लेकिन हम गरीब लोग को इस कानून से अउर कौन फायदा है ?

(तभी एक व्यक्ति, नागरिक–5, लँगड़ाता हुआ इस समूह में शामिल होता है)

नागरिक–5 – का बँटा रहा है जी इहाँ ? हमको भी कुछ भेंटाएगा ?

नागरिक–2 – बोलिए, इनको का जवाब देते हैं जनसेवक जी महाराज ?

जनसेवक – भाई लोगो, सूचना अधिकार का अगर हम ठीक से इस्तेमाल करें तो सच में हमें बहुत फायदा पहुँच सकता है!

नागरिक–1 – जैसे इनको ? पूछ रहे हैं, का भेंटाएगा ? बताइए ...

जनसेवक – आपको सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता मिलती है?

नागरिक–5 – आप भी मजाके कर रहे हैं न ! हमनी जइसन को कौन पूछे वाला है !

जनसेवक – नहीं, सरकार ने आप जैसे नागरिकों के लिए योजनाएँ बनाई हैं।

आप 'राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' के अंतर्गत दो सौ रुपये प्रतिमाह पेंशन पाने के हकदार हैं।

नागरिक–5 – (हक्का–बक्का होकर) अच्छा ? हमको तो ई बात मालूमे नहीं था ... अब क्या करना पड़ेगा ? (बाकी लोग भी आश्चर्य से एक–दूसरे का मुँह देखते हैं)

जनसेवक – बस आप एक आवेदन प्रखण्ड कार्यालय, यानी पंचायत समिति में दीजिए, या फिर ग्राम सभा के पंचायत सेवक को ही दे दीजिए।

नागरिक–2 – ऊ वाला बात तो रहिए गया ? सूचना अधिकार से हमको क्या फायदा हुआ ?

जनसेवक – हाँ–हाँ, सुनिए तो ... (नागरिक–5 से) आवेदन देने के कुछ हफ्तों बाद प्रखण्ड कार्यालय अथवा जिला परिषद कार्यालय से सूचना माँगिए कि आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई।

नागरिक–5 – फिर ?

जनसेवक – फिर क्या, 30 दिनों के अंदर देखिए तमाशा ! आपका काम जरूर हो जाएगा।

(एक वृद्ध व्यक्ति नागरिक–6 – समूह में शामिल होता है)

नागरिक–6 – कुछ हमरो मिलेगा कि नहीं ?

नागरिक–3 – देखिए–देखिए, चचा भी आइए गए। अरे, कब तक सरकारी खजाना खाली कराते रहिएगा ?

नागरिक–6 – ई देखिए... हमको सरकार से का मिलता है, बताइए तो...? (गुस्साता है)

जनसेवक – जरुर मिलेगा। 65 वर्ष या अधिक उम्र के वृद्ध और असहाय व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दो सौ रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है। ... बस आप भी एक आवेदन पंचायत सेवक को दे दीजिए, फिर कुछ हफ्तों बाद सूचना अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, पूछिए कि आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई।

नागरिक–2 – चलिए, तब आपका भी कल्याण होइए गया। हम भी दिमाग भिड़ाते हैं कि –कुछ ...

नागरिक–1 – भइया, हम लोग इस अधिकार का प्रयोग खाली अपने लिए नहीं, गाँव, पंचायत, मोहल्ला–टोला के लिए भी करें तब न कुछ होगा।

नागरिक–2 – तुम एतना अकलमंदी का बात भी कर लेते हो जी ?

जनसेवक – अधिकार का उपयोग अकलमंदी से ही किया जाना चाहिए।

अब चलें ? बहुत काम पड़ा है भाइ लोगो।

नागरिक–3 – अब से आप पक्का जनसेवक हो गए रामसेवक भइया!

नागरिक–1 – हाँ, बड़ा भारी टिरेनी (ट्रेनिंग) लेकर आए हैं। हमलोग को भी कभी ले चलिए...

जनसेवक – जरूर–जरूर! तो आप लोगों ने आज किस अधिकार में बारे में जाना?

नागरिक–5 – सूचना अधिकार के बारे में !

नागरिक–6 – सूचना अधिकार जनता के राज को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है।

नागरिक–4 – सूचना अधिकार अफसरों और जन प्रतिनिधियों को जनता के पक्ष में काम करने पर मजबूर करता है।

नागरिक–3 – सूचना अधिकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है।

नागरिक–2 – सूचना अधिकार से सरकारी तंत्र में जिम्मेदारी के साथ काम करने का तौर–तरीका विकसित होता है।

नागरिक–5 – सूचना का अधिकार का मतलब सरकार मेरे द्वार!

नागरिक–1 – (खुश होकर नाचने–गाने लगता है) चलत मुसाफिर मोह लिया रे ...

नागरिक–2 – (बीच में रोककर, राग में) सूचनाधिकार कानूनवा...

(सभी मिल कर गाते हैं)

□□□